

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

क्रमांक : एफ()वसु/मुवसं/2017-18/ 5348

दिनांक :- 03-7-17

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राजस्थान जयपुर।

विषय :- उदयपुर-अहमदाबाद रेल्वे लाईन के गेज परिवर्तन बाबत 35.7823 है. वन भूमि का प्रत्यावर्तन
(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/RAIL/14152/2015

प्रसंग :- आपका ऑन लाईन EDS F14(Rail)2015@FCA/PCCF/CCF-II datd 28.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में निवेदन है कि प्रस्ताव में पाई गयी कमियों की पूर्तियां यूजर एजेन्सी, उप वन संरक्षक उदयपुर एवं उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) द्वारा की जाकर प्रस्ताव पुनः इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

तीनों के स्पष्टीकरण से यह कार्यालय सहमत है, जिनके अनुसार बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्न प्रकार है :-

1. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या A-1(x) में प्रत्यावर्तन अवधि अंकित कर दी गई है।
2. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b(ii) में KML file पुनः अपलोड कर दी गई है।
3. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या D में विकल्पों की KML file का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रस्तावित रुट की KML file ही अपलोड की जा सकी है।
4. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या K में वनाधिकार संशोधित प्रमाण पत्र जिला कलक्टर द्वारा 35.7823 है. हेतु पुनः जारी किया गया था जो पृष्ठ संख्या 112 पर संलग्न। कृपया अवलोकन करावें। साथ ही चूकि क्षेत्रफल में संशोधन के कारण ग्राम पचायत चांसदा ग्राम खारवा की ग्राम सभा दुबारा आहूत की गई थी एवं दोनों का कार्यवाही विवरण प्रस्ताव में संलग्न है। अतः कुल मिलाकर वांछित क्षेत्र अनुसार ही ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदन किया गया है। समस्त ग्राम सभाओं एवं जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में जारी किये गये प्रमाण पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में कोई वनाधिकार पत्र जारी नहीं किये गये हैं न ही लम्बित है।
5. यूजर एजेन्सी द्वारा अतिरिक्त सूचनाओं में जिला कलक्टर द्वारा गैर वन भूमि के आरक्षित किये जाने का प्रमाण पत्र सही रूप से अपलोड कर दिया गया है।
6. उप वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण अंकित कर दिया गया है।
7. उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) द्वारा प्रस्ताव में NPV की गणना Open Forest की दर के अनुसार संशोधित कर दी गई है।
8. उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) द्वारा प्रस्ताव के पार्ट II में स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
9. समानता के दृष्टिकोण उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) द्वारा पेड़ों की कीमत की दर में संशोधन कर 400/- रु प्रति विक्ण्टल कर दी गयी है।
10. उप वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में वन की विधिक स्थिति का अंकन कर दिया गया है।
11. प्रस्ताव में अनावश्यक दस्तावेजो यूजर एजेन्सी द्वारा हटा लिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार पूर्तियां कर प्रस्ताव ऑन लाईन अग्रेषित कर दिया गया है। दो हार्ड प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव 2 प्रतियों में उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अक्षय सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

NORTH WESTERN RAILWAY

*Office of the
Deputy Chief Engineer (Const.)-I
N.W. Railway, Udaipur.*

No. W-207/Const./UDZ/Land/Forest/474459014

Date: 03.07.2017

**The Chief Conservator of Forest,
Udaipur.**

Subject: Proposal for diversion of forest land in Udaipur District in Rajasthan state for the work of gauge conversion of Udaipur-Himmatnagar railway line.

Ref. : (i) Proposal No. FP/RJ/RAIL/20470/2016 dated 14.07.2016.
(ii) Observations of Nodal Office vide no. F14(Rail) 2015/FCA/PCCF/CCF-II dated 28.06.2017.

The compliance on the observations communicated vide Ref (ii) for the points pertaining to User Agency (North Western Railway) has been made and following remarks are submitted in this regard:-

1. Period of land diversion has been entered in the proposal.
2. KML file has been re-uploaded in item no. C-b(ii) of the online proposal.
3. Three alternate alignments have been examined in connection with the present proposal for land diversion. A comparison of these three alignments has been uploaded in the additional documents list. Proposed alignment (option no. 1) has been adopted as it is economical, easy to construct and involves minimum diversion of forest land. KML file has been generated for the proposed alignment (option no. 1) only as there is provision of uploading the same only in the online proposal and there is no column / item for uploading KML files for alternate alignments.
4. Minutes of meeting of the Gram Sabhas, Block level committees, District level committee and Collector's certificate under FRA have already been submitted. The initial proposal was for diversion of 34.438 hectares of forest land. However during site survey, the area was found to increase to 35.7823 hectares due to inclusion of 1.3443 hectares land of village Kharwa. As a result, the area of land proposed for diversion in village Kharwa increased from 4.8037 hectares to 6.148 hectares. The meetings of Gram Sabha (of village Kharwa), block level committee and district level committee were held again and fresh certificate under FRA was issued by District Collector, Udaipur. The fresh minutes of these meetings and Collector's certificate are placed at Sr. No. 95 to 101, 105 to 108 and 110 to 112. Regarding forest rights in the land proposed for diversion, it has been mentioned in the Gram Sabha meeting proforma that "no Forest Right (individual or community) has been granted to any Schedule Tribes and the other Forest dwellers within the forest land proposed for diversion." Similar fact has been reiterated in the item no. (c) of the Collector's certificate under FRA.
5. Collector's certificate regarding allotment of non-forest land for compensatory afforestation has been re-uploaded in the additional documents list in the online proposal.
- 6 to 10. Pertain to DCF Office.
11. All the extra / unnecessary pages have been removed from hard copy of proposal.

It is requested to kindly process the proposal further for approval of Government as per the provisions of Forest (Conservation) Act.


(VIKAS BOORA)

Deputy Chief Engineer (Construction)-I
North Western Railway, Udaipur

Copy to the:

- Chief Engineer (Construction)-II, North Western Railway, Jaipur for kind information please.
- Deputy Conservator of Forest, Udaipur (North) and (South) for kind information and necessary action please.

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (राज0)।।

वन भवन परिसर, मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल, उदयपुर (राज0) पिन-313001

E-mail:- dcfudaipur@gmail.com Phone / Fax 2429239

क्रमांक एफ()/तकनीकी/उवसं/उदय/2017-18/9285
निमित्त

दिनांक: 30/6/17

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषय:-Proposal for Diversion of Forest Land in Udaipur district Rajasthan state
for the work of gauge conversion of Udaipur Himmatnagar Railway line
संदर्भ:-कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक
F14(rail)2015/FCA/PCCF/CCF-II Dated 28.6.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से उदयपुर हिम्मतनगर - अहमदाबाद रेलवे लाईन के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव इस कार्यालय को उच्च कार्यालय से प्रस्ताव में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु दिनांक 29.6.2017 पुनः प्राप्त हुए हैं। यूजर एजेन्सी, वनमण्डल उदयपुर (उत्तर) तथा इस कार्यालय के आक्षेपों की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः 4 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

1. यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
2. यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
3. यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
4. यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
5. यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
6. प्रस्ताव के पार्ट-2 में बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण की पूर्ति सम्बन्धित कालम में कर दी गई है।
7. कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर), द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
8. कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर), द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
9. कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर), द्वारा पूर्ति कर दी गई है।
10. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रत्यावर्तित होने वाले वन की विधिक स्थिति अंकित कर दी गई है।
11. प्रस्ताव में संलग्न अनावश्यक दस्तावेज यूजर एजेन्सी द्वारा हटा लिये गये हैं।

संलग्न :- प्रस्ताव (4 सेट) Proposal forwarded online also on 29-6-17.

भवदीय

(आर.के.जेन.भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
उदयपुर

क्रमांक:-एफ()तकनीकी/उ.क.सं.पु/17-18/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर)।
3. उप मुख्य इंजिनियर (नि.), उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर।

उप वन संरक्षक,
उदयपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)

राजकीय मुद्राणालय के पास, गुलाब बाग रोड़, उदयपुर-313001

Email Id: dcf.udprn.forest@rajasthan.gov.in Phone & Fax: 0294-2421962

क्रमांक: एफ()सर्वे/उवस-उत्तर/2017-18/

दिनांक:

उप वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय: Proposal for diversion of Forest Land in Udaipur district in Rajasthan State for the work of Gauge Conversion of Udaipur Himmatnagar Railway Line.

प्रसंग: कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान जयपुर के पत्र F14 (Rail)2015/FCA/PCCF/CCF-II Dated 28-06-2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र से उदयपुर-हिम्मतनगर-अहमदाबाद रेल्वे लाइन के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव इस कार्यालय को उच्च कार्यालय से प्रस्ताव में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु पुनः प्राप्त हुए हैं। अतः इस कार्यालय से सम्बंधित आक्षेपों की निम्नानुसार बिन्दुवार पूर्ति कर पुनः (4 प्रति) में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है :-

1. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
2. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
3. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
4. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
5. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
6. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
7. इस कार्यालय के अधिन वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 0.2519 है. भूमि के एम.पी.वी. गणना में ऑपन फोरेस्ट की दर अंकित की जाकर तदानुसार राशि की मांग कर दी गई है।
8. प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के विरुद्ध प्राप्त 35.7823 है. गैर वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के पार्ट-II में संलग्न कर दी गई है।
9. पेड़ों की कीमत जलाऊ लकड़ी की श्रेणी की है तथा 400 रु. प्रति क्विंटल की दर से गणना की जाकर तदानुसार राशि की मांग कर दी गई है।
10. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
11. इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

भवदीय

॥

(ओम प्रकाश शर्मा)


उप वन संरक्षक,

उदयपुर (उत्तर)

दिनांक: 29/6/17

क्रमांक: एफ()सर्वे/उवस-उत्तर/2017-18/ 3903

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



उप वन संरक्षक,

उदयपुर (उत्तर)